

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2016—ज्येष्ठ 20, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्र. एफ-ए-3-31-2016-1-पांच (33).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 11-क तथा नियम 84-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-14-2010-1-पांच-(69), दिनांक 16 अगस्त 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि किसी व्यापारी द्वारा मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्ररूप 6 में इलैक्टॉनिक रीति में विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.mp.gov.in/https://mptax.mp.gov.in) के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाएगा.

2. आवेदन उक्त नियमों के नियम 11 के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा और उसके साथ दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे.

3. ऐसे व्यापारी से, जो इलैक्टॉनिक रीति में आवेदन प्रस्तुत करता है, किसी अन्य रीति में आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, किन्तु वह आवेदन में दी गई विशिष्टियों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए व्यापारी के कारोबार के स्थान पर आने वाले रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को मूल आवेदन और उसके संलग्नक देगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्र. एफ-ए-3-31-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-31-2016-1-पांच (33) दिनांक 10 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2016

No. F-A-3-31-2016-1-FIVE-(33).—In exercise of the powers conferred by rule 11-A and rule 84-A of the Madhya Pradesh VAT Rules, 2006 and in supersession of this department's Notification No. F. A.-3-14-2010-1-V-(69) dated 16 August 2010, the State Government, hereby, provides that an application for grant of Registration certificate under Section 17 of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002) shall be furnished by a dealer only electronically in Form 6 through the official web portal of the department (www.mptax.mp.gov.in/<https://mptax.mp.gov.in>) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. The application shall be signed and verified and accompanied by the documents in accordance with the provisions of rule 11 of the said rules.

3. The dealer who furnishes the application electronically, shall not be required to furnish the application in any other manner, but he shall give the application and annexures thereto in original to the Registering Authority or an official authorised by him visiting the place of business of the dealer to verify correctness of the particulars given in the application.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy Secy.